आदेश पत्रक
(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

सुनील कुमार पुत्र विधाधर सिंह जाति जाट निवासी पबाना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू	–बनाम–	अब्दुल गनी पुत्र मैमा वगैरह जाति मुसलमान निवासीगण पबाना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

किस्म मुकदमा –प्रार्थना–पत्र अं.धा. 151 सी.पी.सी.		मु.नं. 101/ 2025
25.09.2025	यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी कि ओर से जरिये वकील श्री अमरसिंह शेखावत व श्री भोजराज सिंह शेखावत ने पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रस्तुत सम्मन/तलबाना पर अनावेदकगण की तलबी जारी होकर आईन्दा दिनांक 30.09.2025 को पेश हो। (कुलदीप सिंह शेखावत(RAS)) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ	

14.10.25

पत्रावली आज तारीख पेशी से मिस्ल मुलाहिजा व प्रा० पत्र क० निगरानी प्रकरण सं. 132/25 व 97/25 के साथ पेश किया। प्रकरण में वकील श्री विप्लव पारीक ने जवाब प्रा० पत्र 151 CPC मूल का पेश किया पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र आयंदा दिनांक 17.10.25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

17.10.25

वकील उभय पक्ष उप० वकील उभय पक्ष द्वारा प्रा० पत्र 151 CPC पर पेश होने पर बहस सुनी गई। मूल पत्रावली आवेदक

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

ने कथन किया कि, मूल वाद सं० 132/2025 के साथ प्रस्तुत प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण सं० 97/2025 में दिनांक 10.9.2025 को विवादित भूमि पर आगामी आदेशो तक मौके व स्थिति की यथा स्थिति के आदेश दिये गये है। प्रार्थी के द्वारा अपने सहखातेदारो से जरिये विक्रय पत्र उनका हिस्सा क्रय करने के पश्चात अपने हिस्से की भूमि पर निजी जायज आवश्यकता होने पर तथा आदेश दि० 10.09.2025 प्रभावी होने पर अपने हिस्से की भूमि पर सरकारी योजनाओं तथा सरकारी सहायता से वंचित होने के साथ-साथ बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिसके कारण प्रार्थी व्यथित है। आवेदक के हिस्से में केवल मात्र 73/2357 भूमि दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। आवेदक के हिस्से से प्रार्थी का विवाद है, ना ही आवेदक की पैतृक भूमि है, ना ही हिस्से के सम्बन्ध में विवाद है। केवल मात्र न्यायालय को भ्रम में डालने के लिये धोखा का सहारा लेकर वाद व प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी के परिवार में विवाह होने के कारण तैयारी करने हेतु रुपयों की जायज आवश्यकता है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

इसलिये प्रार्थी अपने हिस्से तक कब्जा आदि प्राप्त करने के लिये विभिलता प्राप्त करना चाहता है। इसलिये प्रार्थी को उसके हिस्से तक कब्जा प्राप्त करने की हद तक स्थगन आदेश में शिथिलन किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब दरख्वास्त में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि, जारी स्थगन आदेश दोनो पक्षों के पुनरा भवालय द्वारा जारी किया गया है। जिसमें अब शिथिलन की कोई प्रायोज्यता नहीं है। मूल वाद विभाजन का है और विभाजन से पूर्व किसी प्रकार का शिथिलन नहीं किया जा सकता है। वैसे भी धारा 151 CPC का प्रा. पत्र तब पेश किया जा सकता है जब स्पष्ट कानून नहीं हो या कानून में स्पष्ट प्रावधान नहीं हो। इसलिये 151 CPC के तहत पेश उक्त प्रा० पत्र खारिज योग्य है। अगर प्रार्थी न्यायालय के आदेश से व्यथित है तो अपील के प्रावधान हैं।

पीठासीन अधिकारी

क्रमांक व दिनांक

न्यायालय के आदेश मे फेरफार नहीं कर सकता है। इसलिये उक्त प्रा० पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण द्वय द्वारा प्रस्तुत तर्क पर मनन किया गया तथा मूल वाद व उसके साथ प्रस्तुत प्रा० पत्र आस्थाई निषेधाज्ञा का भी अवलोकन किया गया।

यह प्रा० पत्र न्यायालय के मूल वाद सं० 132/2025 तथा इसके साथ पेश अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र 97/2025 के संदर्भ मे पेश हुआ है। प्रकरण सं० 97/2025 मे दिनांक 10.9.2025 को विवादित भूमि पर आगामी पेशी तक मौके व स्थिति का यथावत आदेश किया गया है। जिसमे प्रार्थी अपने प्रा० पत्र 151 CPC के तहत अपने हिस्से की हद तक रबी फसल बोवाई के लिये [illegible] शिथिलन चाहता है। उक्त शिथिलन किया जाना न्यायालय का विवेकाधिकार है। शिथिलन से वाद की विषयवस्तु तथा अप्रार्थी के हित व हिस्से पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा० पत्र 151 CPC का स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि पर वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 मे प्रार्थी के हिस्से की हद तक रबी फसल लेने हेतु प्रकरण सं० 97/25 मे दिनांक 10.9.2025 को पारित आदेश मे शिथिलन प्रदान किया जाता है शेष आदेश यथावत रहेगा तथा

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	आदेश के संदर्भ, साफ व स्पष्ट पढ़ा जावेगा। आदेश दि0 17.10.25 को खुले न्यायालय सुनाया गया। प्रा0पत्र फैसल कुमार के नक्शे के क्रम से बाद तहसील जाकर दाखिल दफ्तर हो। प्रा0पत्र मूल T2 पत्रावली के साथ नत्थी रहेगी। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	